पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 05 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 03.07.2024

दिनांक 02/03.07.2024 को वांछित में थाना गाजीपुर 01, मोहनलालगंज 03, बीकेटी 01, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना माल 01, रहीमाबाद 01, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना सआदतगंज- दिनांक 03.07.2024 को थाना सआदतगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री शहनशाह रजा पुत्र श्री स्व० अली रजा निवासी 390/496 यादल कालोनी रुस्तमनगर लखनऊ ने थाना सआदतगंज पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 1/7/2024 को अपनी दुकान लाटूश रोड पर था तथा वादी की पत्नी और बेटी दिन में 4 बजे मार्केट के लिए गयी थी। जब 05.15 बजे शाम को उसी दिन वापस आई तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था और घर के अन्दर रखी अलमारी से सारा सोने का समान गयाब था। **इस सूचना पर थाना सआदतगंज पर मु0अ0सं0- 106/2024 धारा- 305 बी एन एस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना पारा- दिनांक 03.07.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादिनी म0का0 पूनम यादव अभियोजन शाखा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि वादिनी का मोबाइल दिनांक 29-06-2024 दिन शनिवार समय करीब 05.00 बजे शाम को अचानक बन्द हो गया। बहुत प्रयास के बाद वादिनी का मोबाइल ऑन हुआ। जैसे ही वादिनी का मोबाइल ऑन हुआ तब से ही वादिनी के जानने वालो के फोन आना शुरू हो गये। तब उन्होनें वादिनी को बताया गया कि कोई अन्य व्यक्ति अपने नं0 9235382825 से वादिनी की वर्दी वाली फोटो डी0पी0 लगाकर वादिनी के नाम से पैसो की मांग कर रहा है। जिस पर वादिनी की दोस्त म0का0 सीमा पाल के द्वारा 9259194082, 9931732397 इन मो0 नम्बर पर 10,000 रू दिए गये। **इस सूचना पर थाना पारा पर मु0अ0सं0- 337/2024 धारा- 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना बन्थरा- दिनांक 03.07.2024 को थाना बन्थरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री राम कुमार श्रीवास्तव ग्राम- खाण्डेदेव. पोस्ट व थाना बन्थरा जिला लखनऊ ने थाना बन्थरा पर सूचना दिया कि दिनांक 28/06/2024 को वादी की बहू जब अपने कमरे में कान की बाली पहनने गयी तो एक दिन पूर्व रखी बाली वहाँ नहीं थी। जिस पर वादी की बहू ने अपनी अलमारी को तुरन्त जांचा तो पाया कि उसमें रखे दूसरे समस्त चांदी व सोने के गहने के साथ लगभग 45000/- रुपये (पैतालीस हजार) नगदी जोकि एक छोटे पर्स में था। अलमारी में रखे जेवरात व नगदी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। सभी कुछ चोरी चला गया है। गहनों के डिब्बे और बाकी सामान वैसा का वैसा ही रखा था इस की सूचना बहू ने मेरे बेटों को दी तथा हम भी तुरन्त जाकर देखे तो बहू का सारा गहना गायब था आल्मारी में अन्य सामान कपड़े वगैरह व्यवस्थित रखे थे चोरी गये सामान की सूची बाद में प्रस्तुत की जायगी। **इस सूचना पर थाना बन्थरा पर मु0अ0सं0- 165/2024 धारा- 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**